(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1044-चार/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-8-2008 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 406/2004-05 अपील

आदित्य प्रसाद पटैल तनय पारसनाथ पटैल
ग्राम बधौड़ी तहसील सिहावल जिला सीधी ——आवेदक

विरूद्ध

1- अवधेश पटैल तनय पारसनाथ पटैल
2- रनिया पुत्री स्व. पारसनाथ पटैल
3- मु.छोहगी पत्नि स्व. पारसनाथ पटैल
सभी निवासी ग्राम बधोड़ी तहसील
सिंहवल जिला सीधी, मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आई0पी0द्विवेदी)
(अनावेदक की ओर से श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 07 -08 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 406/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-8-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सुड़वार की कुल किता 18 कुल रकबा 3.12 हैक्टर भूमि तथा ग्राम बघौड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक 948 रकबा 0.05 है. के पारसनाथ पटैल सह भूमिस्वामी थे। आवेदक ने तहसीलदार सिहावल के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी की कि पारसनाथ पटैल ने अपने हक की भूमियों की बसीयत उसके पक्ष में की है इसलिये बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार सिहावल ने प्रकरण क्रमांक 37/2002-03 अ-6 पॅजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दि.27-2-2004

पारित किया तथा बसीयत के आधार पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण क्रमांक 90/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–8–2005 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 27–2–04 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 406/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–8–08 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सिहावल ने आदेश दिनांक 27–2–2004 से आवेदक का नामान्तरण इस आधार पर स्वीकार किया है कि बसीयत साक्षीगण से प्रमाणित है। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण क्रमांक 90/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–8–2005 में इस प्रकार विवेचना कर निष्कर्ष दिया हे :–

- **प्रकरण में सत्यापित खसरा पंचशाला वर्ष 2001–02 के अनुसार उक्त विवादित भूमियों का नामान्तरण ग्राम पंचायत क्षेत्र बघौड़ी के प्रस्ताव क–1 दिनांक 24–4–02 व्दारा मृतक पारसनाथ के स्थान पर वारिस आदित्य प्रसाद, अवधेश प्रसाद पिता पारसनाथ, रनिया पुत्री पारसनाथ, छोहगी सेवा पारसनाथ भूमिस्वामी अंकित है । उक्त खसरा नकल से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियों का नामानतरण अधीनस्थ न्यायालय व्दारा दुवारा किया गया है। ***

उक्त वादित भूमियों पर ग्राम पंचायत व्दारा एकवार आदेश दिनांक 24–4–2002 से नामान्तरण कर दिया गया, अपील/निगरानी के अभाव में यह नामांत्रण आदेश अंतिम हो जाने के कारण तहसीलदार को सक्षम अधिकारी के पुनरावलोकन की अनुमति के बिना री–ओपिन करने अथवा उसी भूमियों पर बसीयत के आधार पर पुनः कार्यवाही विचारित करने की अधिकारिता नहीं थी जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास आदेश दिनांक 17–8–2005 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–2–04 को निरस्त करने में किसी प्रकार

की त्रृटि नहीं की गई है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 406/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–8–08 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 12–8–08 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 406/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–8–08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर